[Secretary]

March, 1967, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.'

श्री मधु लिमये : व्यवस्था का प्रश्न दो विषयो के बीच मे उठाया जा सकता है । ग्राप हमारी तरफ देखेंगे या नहीं । यह नियम लिखा हुआ है . .

Mr. Speaker: Order, order. He can come and convince me. After I have disallowed something in the chamber, I cannot allow it to be raised here.

श्री मधु लिमये : ग्राप 376 देख लीजिये ।

Mr. Speaker: I am not prepared to accept, whatever the rules may say. Definitely a thing which has been disallowed by me cannot be taken up here when hon. Members can go on shouting. Even then I am prepared to discuss it with them separately. But I cannot waste the time of the whole House on that I am not prepared to do that

---

12.45 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing 3rd April, 1967, will consist of:—

(1) Further discussion of the Motion of Thanks on the President's Address.

(2) Consideration and passing of the following Bills:—

(a) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1967.

(b) The Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill, 1967.

(c) The Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Bill, 1967.

(d) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 1967.

(e) The Finance Bill, 1967.

(f) The Constitution (Twenty-first Amendment) Bill, 1967, *as passed by Rajya Sabha.*

I am deleting item No. 3 from the copy which I have already supplied, as already intimated to the Secretariat. We wanted to take up one No Day-yet-named Motion but that is covered by item (d), the Essential Commodities Bill. Therefore, that is not taken up.

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी(बलरामपुर): जो माननीय मंत्री जी ने विषय बताये हैं क्या वे सब विषय निश्चित ग्रवधि मे समाप्त हो जायेंगे या लोक सभा की बैठक ग्रागे बढ़ाने का विचार हो रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह . इरादा यह है कि निश्चित समय के ग्रन्दर सारे विषय समाप्त कर लिये जायें ग्रौर लोक सभा का ग्रधिवेशन सात ग्रप्रैल को पहले की सूचना के ग्रनुसार समाप्त किया जाये ।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Sir, you will remember that when the statement regarding the non-proliferation of nuclear weapons was made here there was a general desire that the matter should be discussed. I have given a notice of a No-Day-Yet-named-Motion on this very subject. May I request that it may be taken up?

Dr. Ram Subhag Singh: We are prepared to take up at least one No-Day-Yet-Named Motion. But it all depends upon the time If hon. Members are prepared to sit extra hours, we can take up more such motions.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : मैं ग्रापका ध्यान 376 नियम की ग्रोर दिलाना चाहता हूं । इस नियम के ग्रन्तर्गत ग्राप

नियम को देखें । उस में आखिरी जो पैरा है उसको आप देखिये । वह इस प्रकार है :

"Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval be.ween the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in. or arrangement of business before, the House."

Mr. Speaker: If he wants to ask a question, he can do that. For that no point of order is necessary.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप इस बात को देखिये कि हिन्दुस्तान टाइम्ज जैसा अखबार मुझ को दिन रात गालियां दिया करता है और इस सदन के एक सदस्य के अधिकारो की आप रक्षा नही करेगे तो कहां मामला जायेगा ? यहा इस नियम के अनुसार मैं आप के सामने यह प्रार्थना कर रहा हू कि आप ने मुझ को रोक दिया और छ: आठ दिन से यह मामला चल रहा है . . .

Mr. Speaker: The hon. Member may kindly sit down. About every hon. Member some.hing is written in the newspapers. If we begin to discuss all that, we will have time only to discuss newspaper reports in this House. About every hon. Member, including the Prime Minister, something is written in the newspapers every day. Whether it is Jan Sangh, SSP, Swatantra or any other party, every day something is written in the papers. If we go on discussing all that, where will it end?

डा० राम मनोहर लोहिया : यह प्रश्न नही है । आप एक गलती का फिर मौका दे देते हैं । प्रश्न यह नहीं है । हिन्दुस्तान टाइम्ज दस हजार गालिया मुझ को और दे लेकिन इस सदन में जो घटनाये होती हैं, उनको उसे छ.पना चाहिये । वह गालियां दे दिया करता है, घटनायें नही छापता है . . .

* * * *

Mr. Speaker: This will not be recorded.

डा० राम मनोहर लोहिया : * * *

Mr. Speaker: I am not hearing. It is not recorded also. Let the doctor have the pleasure of sayirg whatever he wants to say.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इस तरह के लोक सभा की कार्रवाई नही चलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : फिर कैसे चलेगी ?

श्री मधु लिमये : आप को सुनना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : एक तो मुझे इस विषय के बारे मे कहना है । दूसरे यह कहना है ससद्-कार्य मत्री को कि बार बार लिख कर दिया गया है लेकिन फिर भी विधेयक आदि कागजात वितरित किये जाने हैं वे अग्रेजी मे तो दिये जाते हैं लेकिन हिन्दी में नही दिये जाते है । जिन माननीय सदस्यो को अग्रेजी नही आती है वे बार बार लिख कर देते है फिर भी उनको वे कागजात नही दिये जाते हैं । मैं चाहता हूं कि ससद्-कार्य मत्री इस पर ध्यान दें ।

मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ने जो बयान देने को कहा था उसको वह दें । आप रिकार्ड को देखेंगे तो आप को पता चलेगा हीरो के बारे मे उन्होने कहा था कि वह समय चाहती हैं । यह कार्रवाई मे है । मैं जानना चाहता हू कि कब वह उस बयान को देने वाली हैं ? मैं बता देना चाहता हू कि अगर वह बयान दे देती तो यह जो झगड़ा हिन्दुस्तान टाइम्ज वगैरह के बारे मे उठता रहता है यह न उठता ।

श्री मधु लिमये : इस पर कुछ फैसला आप करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को भी बुलाऊंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एक हफ्ते का सैशन और है । दो तीन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ कहना है । ये चीजें भी इस बीच में हो जायें तो अच्छा होगा । पहली बात तो यह है कि मोनोपलीज कमीशन की जो रिपोर्ट है वह पिछली पार्लिमेंट से टलती चली जा रही है । अब भी मालूम होता है कि उस पर विचार नही होने वाला है । मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए समय दिया जाये ।

दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट जो बहुत ही इम्पार्टेंट जजमेंट है फंडेमेंटल राइट्स के ऊपर और जिस के बारे में सवाल भी उठे हैं मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री उसके बारे में जाच करके इस सैशन के खत्म होने से पहले हमारे सामने एक बयान दें ताकि उसका स्पष्टीकरण हो सके ।

तीसरी चीज यह है कि मैंने एक कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था । जिसको आप ने डिसएलाऊ कर दिया है । उसके बारे में मै कुछ नही कहना चाहता हूं । मैं इतना ही कहना चाहताहू कि हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब आज कम-अज-कम अगर हो सके तो पाच छ: बजे मेहरबानी करके एक स्टेटमेंट कर दें । कानपुर में साढ़े तीन हजार मजदूरो की छंटनी हो रही है, लक्ष्मी काटन मिल के मजदूरों की छंटनी हो रही है । हमारे संसद-कार्य मंत्री मेहरबानी करके कामर्स मिनिस्टर से कहें कि वह एक बयान आज दें ताकि साढ़े तीन हजार आदमियों की जो छंटनी होने वाली है और जिस के कारण कानपुर की ला एंड आर्डर सिचुएशन एफेक्ट होने वाली है, उसके बारे में पता चल सके कि तथ्य क्या हैं । इसमें कांग्रेस की प्रतिष्ठा होगी, मेरी प्रतिष्ठा नही होगी ।

श्री मधु लिमये : इस सत्र में नियम 184 के अनुसार कोई भी प्रस्ताव चर्चा के लिए नहीं लगा गया है । हम लोगों की ओर से जो भी दिए गये हैं उन में से कोई भी नहीं लिया गया है । शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आई है और साथ ही साथ यह केन्द्र और राज्यों के इन दो रिश्तों का सवाल भी सामने आ गया है । इन दो में से किसी विषय पर दो ढाई घंटे की बहस अगले सप्ताह रखी जाये, यह मेरा उनसे निवेदन है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्री राम सेवक यादव ने बिलों को हिन्दी में भी सदस्यों के बीच वितरित करने का सुझाव दिया है । इस सम्बन्ध में हम लोगों का प्रयास होगा कि यथा शक्ति इस ओर आगे बढ़े और आप के आदेशों के अनुसार इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जायेगी ।

हमारे बनर्जी साहब ने तीन बातें कही हैं . . .

श्री रामसेवक यादव : प्रधान मंत्री ने हीरों के बारे में बयान देने की जो बात कही थी उसके बारे में भी बताइये ।

डा० राम सुभग सिंह : एक तो उन्होंने मोनोपलीज कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करवाने के बारे मे कहा है । दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में विधि मंत्री की तरफ से उसका अध्ययन करके बयान देने की बात कही है और तीसरे कानपुर में लक्ष्मी काटन मिल में जो छटनी होने का उनको अंदेशा है उसके सम्बन्ध में कामर्स मिनिस्टर से बयान दिलाने के बारे में कहा है और वह भी आज शाम को । इस तीसरी बात के बारे में मै कामर्स मिनिस्टर से निवेदन करूंगा, लेकिन मैं नही समझता कि वह आज सन्ध्या समय तक इस बारे में कोई सूचना दे पायेंगे ।

श्री रामसेवक यादव : प्रधान मंत्री से भी निवेदन कीजिए ।

डा० राम सुभग सिंह : जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रश्न है, वह एक अहम सवाल है । विधि मंत्री स्वयं यहां पर उपस्थित हैं । उस का अध्ययन कर के जो कुछ भी

सम्भव होगा, वह करने का प्रयत्न किया जायेगा । मानोपलोज़ कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के बारे में भी कहा गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक इस सदन में दो विषयों पर चर्चा हो चुकी है—एक तो फूड के बारे में और दूसरी राजस्थान के बारे में । अब इस सत्र का एक सप्ताह बाकी है । प्रेज़िडेंट के एड्रेस पर जो डिस्कशन चल रही है, उस के लिए करीब सोलह घंटे का समय है । अगर सदन चाहे, तो उस पर सोलह, साढ़े सोलह घंटे चर्चा करे, या उस समय को कम करे । जहां तक मैंने समझा है, इस सदन का ख़याल है कि 7 अप्रैल को यह सत्र बन्द किया जाये और अगला समर सैशन 22 मई को बुलाने का विचार है । मैं श्री बनर्जी और श्री रामसेवक यादव से निवेदन करूंगा कि यद्यपि मैं उन के द्वारा पेश की गई समस्याओं के महत्व को समझता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे पास समय की किल्लत है ।

श्री मधु लिमये ने शिक्षा आयोग की रिपोर्ट और केन्द्र तथा प्रदेशों के सम्बन्धों के बारे में चर्चा की मांग की । मैं इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा और श्री मधु लिमये को इस बारे में सूचना दे दूंगा । केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के सवाल पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है । इस सब बातों पर विचार कर के जो कुछ भी सम्भव होगा, वह किया जायेगा ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, उस समय आप स्वयं चेयर में थे, जब कि माननीय सदस्य, डा० लोहिया, और अन्य माननीय सदस्यों ने हीरों के हार का प्रश्न उठाया था । प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि वह इस बारे में जवाब देंगी । इस समय प्रधान मंत्री जी सदन में बैठी हैं । वह इस बारे में जवाब दें और मामले को स्पष्ट कर दें । हिन्दुस्तान टाइम्स इस बारे में न जाने कितना अनर्गल प्रचार कर चुका है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं आपका और इस सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस समय सदन के सामने विचारणीय विषय यह है कि अगले सप्ताह सदन में किन किन विषयों पर चर्चा की जाये । इस लिये मैं समझता हूं कि उसमें हमें दूसरी बातों को घुसेड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिये ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली): अगले सप्ताह में दो तीन दिन तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली डीबेट पर लग जायेंगे । हमारा पिछला अनुभव यह है कि हर रोज हमारा बहुत सा समय ऐसी बातों में लग जाता है, जो कि बिज़नेस में शामिल नहीं होती हैं । इस सदन में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है—दिल्ली का लैंड एक्वीज़ीशन बिल उन में से एक है—, जिन के लिये हमें समय चाहिए । बाद में कहीं यह न कहा जाय कि चूंकि 7 अप्रैल को हाउस को एडजार्न करना है, इस लिये इन सब बिलों को गिलोटीन किया जायेगा । यह ठीक नहीं होगा । अगर आवश्यक हो, तो सेशन को बढ़ाया जाये, लेकिन इन विधेयकों पर बोलने के लिये आवश्यक समय अवश्य मिलना चाहिये ।

Mr. Speaker: The hon. Minister may look into his suggestion.

12.54 hrs.

Re. POINT OF ORDER

Shri R. K. Sinha: (Faizabad): On a point of order, Sir. I have written to you a let er about it. Yesterday, the sovereignty of the country had been challenged by a Member of this House when a point of secession was raised. I want that some time should be allotted to discuss whether a Member of this House who had taken oath or affirmation to the Constitution can talk of secession. That should be discussed in the House.